कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

क्र............./ मिशन क्लीन सिटी /न.पा.नि./2017 38653 कोरबा दिनांक 30/3/2017

रूचि की अभिव्यक्ति

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रबंधन कार्य हेतु मिशन क्लीन सिटी परियोजना'' अंतर्गत नगर के परिवहन नगर जोन के अंतर्गत आने वाले वार्डो मे डोर टू डोर संग्रहण एवं कचरे का परियोजना मे वर्णित प्रावधान अनुरूप उचित निपटान हेतु पंजीकृत एवं प्रशिक्षित रजिस्टर्ड सहकारी समिति/ रजिस्टर्ड एरिया लेबल फेडरेसन/रजिस्टर्ड /स्व. सहायता समूह/स्व. सेवी संस्थाओं ''रूचि की अभिव्यक्ति'' दिनांक 13.04.2017 को सायं 3.00 बजे तक रपीड पोस्ट पंजीकृत डाक द्वारा आमंत्रित की जाती है कार्य का विस्तृत विवरण एवं नियम तथा शर्ते अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से रू. 500/– का भुगतान कर अथवा निगम के वेबसाइड www.korbamunicipal.in से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

टीपः– यह रूचि की अभिव्यक्ति निकाय के वेबसाइड www.korbamunicipal.in पर प्रदर्शित है इसके संबंध मे आगामी निर्देश एवं संशोधन उक्त वेबसाइड पर ही प्रदर्शित किये जावेंगे। कार्य हेतु इच्छुक फर्म उक्त वेबसाइड का नियमित रूप से अवलोकर कर सकेंगें।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

प्रस्तावना :–

नगर पालिक निगम, कोरबा क्षेत्र की बढती जनसंख्या के साथ साथ नगरीय क्षेत्र से उत्सर्जित होने वाले ठोस एवं तरल अपशिष्ट की मात्रा मे निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसका उचित निपटान निकाय के अत्यंत महत्वपूर्ण चुनौती है वर्तमान मे निकाय क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 4.0 लाख है इस क्षेत्र मे 160.0 मिट्रिक टन ठोस अपशिष्ट (कार्बनिक/अकार्बनिक) दैनिक रूप से उत्सर्जित होता है। नगरीय क्षेत्र मे उत्सर्जित होने वाले मुख्य अपशिष्ट क्रमशः प्लास्टिक एवं प्लास्टिक से बने सामान,कागज,गत्ते, फोम एवं फोम से बनी सामग्री,फल,सब्जीया विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रदार्थ होते है। वर्तमान मे इन सामग्रीयो को विभिन्न स्थानो पर स्थापित कुडेदानो से एकत्रित करते हुए डंपिंग यार्ड मे फेक दिया जाता है। नगरीय क्षेत्र मे उत्सर्जित होने वाले विभिन्न प्रकार के अपशिष्टो का उचित निपटान नही होने के कारण इन सामग्रीयो से विभिन्न प्रकार के रासायन,तैल आदि भूमि मे समाहित होकर भू–जल स्त्रोतो को हानि पहुचाते है, एवं इससे पर्यावरण भी प्रदुषित होता है।

उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत करते हुए निकाय क्षेत्र से उत्सर्जित होने वाले ठोस एवं तरल अपशिष्ट के उचित प्रबंधन हेतु मिशन क्लीन सिटी के दिशा–निर्देशानुसार इस अपशिष्ट को संसाधन के रूप मे स्वीकार करते हुए इनका उचित प्रबंधन किया जाकर शहर को कचरे से निजात दिलाना एवं इस प्रकिया से आय प्राप्त करना है।

उपरोक्त परिकल्पना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र मे विभिन्न स्थानो पर "एसएलआरएम" केन्द्रो का निर्माण करते हुए प्रशिक्षित महिला स्व.– सहायता समूहों/एवं संस्थाओं अथवा उनके द्वारा गठित समिति के माध्यम से ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु घर–घर से पृथक्कीकृत कचरा एकत्रित करते हुए इसका द्वितीयक/तृतीयक पृथक्किकरण एवं प्रबंधन का कार्य कराया जाना है, जिसके अंतर्गत एकत्रित गीला जैविक सूखा एवं अजैविक कचरे से खाद एवं अन्य सामग्रीयो का निर्माण तथा सूखे कचरे को विधिवत पृथक्कीकृत किया जाकर इसका विक्रय किया जावेगा।

उपरोक्त परियोजना के अनुसार नगरीय क्षेत्र मे ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रबंधन का कार्य किये जाने से भू–जल स्त्रोतो को दूषित होने से बचाया जा सकेगा एवं पर्यावरण संरक्षण की परिकल्पना भी साकार हो सकेगी।

वर्तमान मे इस परियोजना के सफल संचालन हेतु मिशन क्लीन सिटी परियोजना से प्रशिक्षित स्व. सहायता समूहो या उनके द्वारा गठित समिति को नियुक्त किया जाना है।

परिभाषाएं :–

आयुक्त – नगर पालिक निगम, कोरबा के आयुक्त

सक्षम प्राधिकारी	–	यथास्थिति आयुक्त/महापौर परिषद् नगर पालिक निगम कोरबा की साधारण सभा।
इच्छुक फर्म	–	कार्य मे नियोजन हेतु इच्छुक प्रशिक्षित पंजीकृत स्व.सहायता समूहो कॉपरेटिव सोसायटी द्वारा गठित समिति/संस्था।
मिशन क्लीन सिटी	–	ठोस एवं तरल संसाधनो का निपटान।
रूचि की अभिव्यक्ति	–	परियोजना के प्रबंधन डोर टू डोर संग्रहण एवं संग्रहित कचरे को परियोजना अनुसार द्वितीयक/तृतीयक पृथक्करण,आग्रेनिक खाद निर्माण, एवं इन आग्रेनिक सामग्री का विकय के साथ, निगम द्वारा निर्धारित यूजर शुल्क का संग्रहण कार्य।
कार्य	–	रूचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत समिति से अपेक्षित कार्य।
प्रस्ताव	–	रूचि की अभिव्यक्ति के अनुकम मे इच्छुक समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव।
निकाय	–	नगर पालिक निगम,कोरबा (छ.ग.)

सामान्य अनुदेश :-

1. कार्य हेतु " इच्छुक/समिति/संस्था" इस दस्तावेज के दिशा निर्देशो के अनुरूप निर्धारित समयावधि मे कार्य पर नियोजन हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते है।
2. कार्य हेतु "प्रस्ताव" तैयार किये जाने मे होने वाले समस्त व्ययो का वहन कार्य हेतु "इच्छुक समिति" के द्वारा किया जावेगा, किसी भी रूप मे इसका भुगतान निकाय द्वारा नही किया जावेगा।
3. कार्य हेतु "प्रस्ताव" प्रस्तुत करने के पूर्व प्रचलित की आवधारणा एवं तद्नुसार निकाय क्षेत्र मे प्रचलित एवं प्रस्तावित कार्य की जानकारी प्राप्त कर लिया जाना उचित होगा।
4. कार्य हेतु "रूचि की अभिव्यक्ति" का प्रारूप नियम तथा शर्ते निगम के वेबसाइड www.korbamunicipal.in से डाउनलोड किया जाकर अथवा आयुक्त,नगर पालिक निगम कोरबा के कार्यालय मे रूपये 500/– का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। वेबसाइड मे "रूचि की अभिव्यक्ति" का प्रारूप नियम तथा शर्ते डाउनलोड किये जाने की स्थिति मे "रूचि की अभिव्यक्ति" दस्तावेज का मूल्य रूपये 500/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट/धनादेश जो आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम से देय हो प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय दस्तावेज मूल्य के रूप मे एक पृथक लिफाफें मे दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. एक फर्म द्वारा कार्य हेतु मात्र एक ''प्रस्ताव'' ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। किसी एक फर्म अथवा भागीदार द्वारा एक से अधिक ''प्रस्ताव'' प्रस्तुत किये जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत ''प्रस्ताव'' निरस्त कर दिये जावेंगे।

6. कार्य हेतु ''रूचि की अभिव्यक्ति'' प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक 13.04.2017 के पूर्व कार्य के संबंध मे आवश्यक संशोधन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जा सकेगा, एवं आवश्यक हेने पर समय भी विस्तारित किया जा सकता है। इन सूचनाओ का प्रकाशन मात्र वेबसाइड पर ही किया जावेगा।

7. ''रूचि की अभिव्यक्ति का ''प्रस्ताव'' हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा मे दिशा निर्देशो के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत किया जाना होगा।

8. कार्य हेतु प्रस्तुत ''प्रस्ताव'' मे संलग्न समस्त दस्तावेजो फर्म द्वारा स्व.प्रमाणित किया जाकर संलग्न करना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक होने पर ''प्रस्ताव'' मे प्रस्तुत दस्तावेजो की मूल प्रति अवलोकनार्थ अथवा अन्य वांछित सह दस्तावेज आहूत किये जा सकेंगे।

9. कार्य हेतु ''रूचि की अभिव्यक्ति'' प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व ''इच्छुक समिति'' को निकाय मे प्रचलित कार्य एवं उसकी अवधारणा का भलीभांति अध्ययन कर लेना चाहिए एवं इस संबंध मे किसी भी प्रकार की शंकाओ के निवारण हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे सम्पर्क किया जा सकता है।

10. ''रूचि की अभिव्यक्ति'' ''प्रस्ताव'' प्रस्तुत करने के पूर्व दस्तावेज मे उल्लेखित बिन्दुओ का भलीभांति अध्ययन करते हुए तद्नुसार वांछित दस्तावेजो की पूर्ति किया जाकर दस्तावेज शुल्क,अमानत राशि अमानत राशि कार्य हेतु वीट प्रोत्साहन राशि जो संस्था द्वारा निगम से सेवा शुल्क के रूप मे दी जावेगी। एवं कार्य का तकनीकी ''प्रस्ताव'' पृथक –पृथक लिफाफो मे बंद कर अंकित करते हुए इन लिफाफो को एक मूल लिफाफें मे बंद कर अंकित करते हुए इन लिफाफो को एक मूल लिफाफें मे सील कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे निर्धारित समयावधि के पूर्व रजिस्टर्ड डाक एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना होगा।

11. निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त ''प्रस्ताव'' पर विचार नही किया जावेगा, एवं यह निरस्तीकरण योग्य होगा।

12. दिनांक अनुसूची

    अ. ''रूचि की अभिव्यक्ति'' जारी किये जाने का दिनांक 29.03.2017

    ब. प्रीबिड मिटिंग दिनांक 06.04.2017 स्थल कार्यालय नगर पालिक निगम कोरबा

    स. कार्य के संबंध मे आवश्यक जानकारी मे माध्यम से प्राप्त किये जाने हेतु अंतिम दिनांक 10.04.2016

    द. ''रूचि की अभिव्यक्ति'' दरतावेज कार्यालय से प्राप्त किये जाने का अंतिम दिनांक 13.04.2017

ई. "रूचि की अभिव्यक्ति" प्रस्ताव कार्यालय मे प्रस्तुत किये जाने का अंतिम दिनांक 13.04.2017 सायं 03.00 बजे।

13. कार्य हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले "प्रस्ताव" के साथ अमानत राशि के रूप मे रूपये 1000/- का टी.डी.आर/एफ.डी.आर./धनादेश जो आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के पक्ष मे देय हो प्रस्तुत करना होगा। अमानत राशि अमानत राशि के अभाव मे प्रस्तुत "प्रस्ताव" पर विचार नही किया जावेगा।

14. कार्य हेतु "रूचि की अभिव्यक्ति" का "प्रस्ताव" सीलबंद लिफाफे मे स्पीड पोस्ट के माध्यम से आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के पते पर दिनांक 13.04.2017 को अपरान्ह 03.00 बजे तक उल्लेखित अनुसार प्रेषित किया जा सकेगा, जिसके अन्दर निम्नानुसार दस्तावेजो के लिफाफें पृथक से रहेंगें।

लिफाफा (अ) दस्तावेज शुल्क – दस्तावेज प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त किये जाने की स्थिति मे संग्रहित शुल्क के रसीद की सत्यप्रतिलिपि अथवा दस्तावेज प्रपत्र वेबसाईड से डाउनलोड किये जाने की स्थिति मे दस्तावेज शुल्क राशि रू. 500/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/रसीद/धनादेश जो आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम से देय हो।

लिफाफा (ब) अमानत राशि – अमानत राशि रूपये 1000/- का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. /धनादेश जिसकी अवधि 03 वर्ष से न्यूनतम हो एवं जो आयुक्त,नगर पालिक निगम कोरबा के पक्ष मे देय हो।

लिफाफा (स) तकनीकी प्रस्ताव – फर्म के पंजीयन प्रमाण पत्र,पदाधिकारियो एवं फर्म मे नियोजित/कार्यरत व्यक्तियो का विवरण,नियमावली अद्यतन कृत कार्यो का प्रमाणिक विवरण।

लिफाफा (द) अपेक्षाएं – कार्य हेतु रूचि की अभिव्यक्ति दस्तावेज मे नियोजित फर्म से अपेक्षित कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु फर्म की निकाय से अपेक्षाएं।

15. "रूचि की अभिव्यक्ति" "प्रस्ताव" की वैधता समयावधि मे किसी समिति द्वारा प्रस्तुत "प्रस्ताव" वापस लेने पर उनके द्वारा प्रस्तुत "प्रस्ताव" वापस लेने पर उनके द्वारा प्रस्तुत अमानत राशि निकाय द्वारा राजसात कर ली जावेगी।

16. प्रस्तुत "प्रस्ताव" खोले जाने के उपरांत प्रस्ताव के वैधता समयावधि के दौरान समिति द्वारा उसमे किसी भी प्रकार के संशोधन की अपेक्षा रखने पर उनके द्वारा प्रस्तुत अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

17. कार्य हेतु प्रस्तुत "रूचि की अभिव्यक्ति" प्रस्ताव के वैधता समयावधि "प्रस्ताव" प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक से 90 दिवस की होगी। "प्रस्ताव" प्रस्तुतकर्ता समितियो की सहमति से सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे आवश्यकतानुसार समयावधि हेतु बढाया जा सकेगा।

18. कार्य हेतु प्राप्त वैध प्रस्तावो का मूल्यांकन उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर संपादित किये गये अथवा प्रचलित कार्यो के तकनीकी/वित्तीय पक्षो के मूल्यांकन के आधार पर युक्तियुक्त तरीके से सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा।

19. कार्य हेतु प्राप्त किसी एक अथवा समस्त प्रस्तावो को निरस्त किये जाने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को रहेगा।

20. कार्य हेतु प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 13.04.2017 को अपरान्ह 04.30 बजे कार्यालय साकेत भवन नगर पालिक निगम कोरबा मे खोली जावेंगी। इस समय पर संबंधित समितियो के पदाधिकारी अथवा प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगें।

21. कार्य हेतु किसी एक समिति के चयन उपरांत शेष समितियो द्वारा प्रस्तुत अमानत राशि उन्हे एक माह की समयावधि मे वापस कर दी जावेगी।

22. कार्य हेतु चयनित फर्म/संस्था को उनके चयन की सूचना दिये जाने के उपरांत 15 दिवस की समयावधि मे इस कार्य हेतु निकाय एवं चयनित समिति के मध्य अनुबंध हेतु चयनित समिति के पदाधिकारी को उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

23. कार्य हेतु प्राप्त ''रूचि की अभिव्यक्ति'' प्रस्तावो के चयन के संबंध मे आवश्यकतानुसार निगोशियेशन की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

24. कार्य के संबंध मे सक्षम प्राधिकारी अथवा ''प्रस्ताव'' प्रस्तुतकर्ता समितियो के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति मे इसका निपटारा अर्बिट्रेटर जो कि कलेक्टर, जिला कोरबा होंगे। के द्वारा किया जावेगा। आर्बिट्रेटर द्वारा दिया गया आदेश दोनो पक्षो हेतु सामान रूप से बंधनकारी रहेगा।

1. निगम द्वारा निर्धारित वार्डो वीट क्षेत्र मे डोर टू डोर कलेक्शन कार्य।
2. एसएलआरएम सेंटर मे कचरा द्वितीयक पृथक्कीकरण एवं आर्गेनिक काम्पोस्टिंग कार्य।
3. पृथक्कीकृत कचरे को निर्धारित स्थान पर स्थानांतरित करने कार्य।
4. कार्य पर नियोजित स्व.सहायता समूहो/संस्था के सदस्यो को समय –समय पर प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य जांच निगम द्वारा प्रत्येक छः माह मे शासकीय चिकित्सकों द्वारा।
5. परियोजना की सफलता हेतु आवश्यक प्रबंधन का कार्य।
6. परियोजना के कार्यो का नियमित दस्तावेजीकरण ।
7. परियोजना आवश्यक सर्वेक्षण एवं डाटा कलेक्शन कार्य।
8. परियोजना की बेहतरी हेतु समय –समय पर सुसंगत सुझाव सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना।
9. रिक्शे एवं एस.एल.आर.एम. सेन्टर तथा

25. अवकास एवं रविवार के दिवस भी कार्य अनिवार्य रूप से होगा।

26. अपशिष्ठ एकत्रीकरण हेतु रिक्शा / ई रिक्शा ऑटो एवं अन्य आवश्यक सामग्री तथा कार्य करने वाले सदस्यों को ड्रेस, आई कार्ड एवं सुरक्षा सामग्री निगम द्वारा एक बार उपलब्ध कराया जायेगा।

27. अपशिष्ठ एकत्रीकरण वाहन / उपकरण का संधारण अनुबंधित समूह / संस्था द्वारा किय जायेगा तथा इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी समूह / संस्था की होगी तथा किसी तरह के नुकसान / जनहानी की जवाबदारी समूह / संस्था की होगी।

28. एस.एल.आर.एम. सेन्टर पर चल एवं अचल सामग्री की सुरक्षा एवं मरम्मत कार्य जैसे वाहन उपकरण विद्युत पानी आपूर्ति एवं भवन मे लगाये गये उपकरणों की जिम्मेदारी अनुबंधित संस्था / समूहो की होगी।

29. उपस्थिति प्रतिदिवस बॉयोमेट्रिक एवं मैनुअल रूप से एस.एल.आर.एम. सेन्टर मे संलग्न प्रत्येक को देना आवश्यक होगा।

30. कार्य पर नियोजित सभी सदस्यो की जानकारी का बॉयोडाटा के निगम को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व उपलब्ध कराना आवश्यक होगा तथा कोई भी सदस्य कार्य छोडता है या नया सदस्य कार्य प्रारंभ करता है उसकी लिखित सूचना प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

31. अपशिष्ठ एकत्रीकरण कार्य एवं एस.एल.आर.एम. सेन्टर मे कार्य के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदारी संबंधित समूह / संस्था की होगी निगम किसी तरह से जिम्मेदार नही होगा।

32. कार्य करने वाले समूह / संस्था को शासन द्वारा निर्धारित सभी दापदण्ड पूर्ण करने होगे।

33 कार्य हेतु नियुक्त समिति को प्रथमतः तीन माह अवधि मे कार्य की समीक्षा की जावेगी, मापदण्ड के अनुसार कार्य करने के अनुसार कार्य करने पर समिति को एक वर्ष हेतु अनुबंधित किया जावेगा,जिसके उपरांत सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से इसे वर्षानुवर्ष विस्तारित किया जा सकेगा।

34. कार्य हेतु नियुक्त समिति का कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति मे इसकी सूचना समिति का लिखित रूप मे दिया जाकर उनसे इसका प्रतिवेदन आहूत किया जा सकेगा, एवं प्राप्त प्रतिवेदन असंतोषजनक होने की स्थिति मे इससे असहमत होते हुए कार्य हेतु सम्पादित अनुबंध सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

35. शासन के समय–समय पर दिये निर्देशों के अनुसार तथा आयुक्त नगर पालिक निगम के द्वारा अनुबंधित कार्य किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा किसी विवाद की स्थिति मे आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा का निर्णय अंतिम होगा।

36. कार्य हेतु नियुक्त समिति के परियोजनांतर्गत उनके कृत कार्यो का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह मे सह– दस्तावेजो सहित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

37. एस.एल.आर.एम. सेन्टर मे पुनः चक्रित पदार्थो के द्वितीयक एवं तृतीय पृथ्थकीकरण कार्य से संग्रहित पदार्थो को पृथक पृथक स्थान/पात्रों मे रखकर उपयोग/ विक्रय कार्य हेतु तौल कॉटा पर वहन कर रिकार्ड संधारित करना।

38. परियोजनांतर्गत समिति द्वारा सृजित किये गये समस्त दस्तावेज निकाय की परिसम्पत्ति रहेगी, जिसका उपयोग समिति द्वारा अन्य कार्यो या अन्य स्थान पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के बगैर नही किया जा सकेगा।

39. अनुबंध पत्र सभी शर्तो का पालन तथा अनुबंध की कंडिकाओ (बिन्दुओ) का पालन करना होगा।

40. कार्य के संबंध मे सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय –समय पर आवश्यक सुझाव,निर्देश कार्य हेतु नियोजित समिति को दे सकेंगे, जिसका पालन नियोजित फर्म द्वारा अनिवार्य रूप से किया जावेगा।

41. प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि सेवा शुल्क की वसूली पर निर्भर होगी। प्रारंभिक एक माह के पश्चात् सेवा शुल्क वसूली के प्रतिशत के ऑकडो के अनुसार कम वसूली करने की स्थिति मे प्रोत्साहन राशि मे से उतने प्रतिशत राशि कम की जावेगी।

42. सेवा शुल्क वसूली कार्यरत समूह द्वारा की जावेगी तथा उक्त वसूली की रसीद भवन/दुकान के मालिक को प्रदान की जावेगी तथा वसूली की राशि निगम कोष मे निर्धारित अवधि मे जमा की जावेगी।

43. कार्य के संबंध मे किसी भी प्रकार की जानकारी ई–मेल www.korbamunicipal.in के माध्यम से दिनांक 11.04.2017 तक प्राप्त की जा सकती है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)